दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeerut@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 483 / 14-1 दिनांक, मेरठ 01/08/ , 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch-88+650 to 88+750, Khasra No.- 2531 of NH-09 R.H.S in Village-Garh Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District Hapur हेतु 0.048 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी /अप्रोच/150358/2021)।

सन्दर्भः– 1–उप सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–पी–2007/81–2–2023–800(117)/2023, दिनांक 18.07.2023।
2–आपका पत्रांक 177/11–सी–FP/UP/Approach/150358/2021, दिनांक 20.07.2023।
3–प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 309/14–1, दिनांक 88.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उप सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–पी–2007/81–2–2023–800(117)/2023, दिनांक 18.07.2023 से लगायी गयी आपत्ति का निस्तरण प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ ने अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार किया है–

Sr. No.	Observation	Reply
1	हैण्डबुक ऑफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्त 1980 के चेप्टर–54 के बिन्दु संख्या–4.7 के अनुसार 0.1 हे0 तक की वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सामान्य अनुमोदन की स्थिति उन मामलों में ही लागू होती है, जिस वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व नहीं है। विचाराधीन परियोजना में प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि (0. 0304 हे0) पर वन विभाग का स्वामित्व है अथवा नहीं।	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि आवागमन हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि का भू–स्वामित्व वन विभाग का नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर भू–स्वामित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है।
2	प्रश्नगत प्रस्ताव में जियों रिफरेंस मैप में महादेव ढाबा, अल्लाहबख्सरपुर गढ़मुक्तेश्वर जिला–हापुड़ के सम्पर्क मार्ग के लिए वन भूमि के डायवर्जन का उल्लेख है, जबकि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विषय निम्नवत अंकित किया गया हैः–Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch- 88+650 to 88+750, Khasra No.- 2531 of NH-09 R.H.S in Village-Garh Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District Hapur हेतु 0.048 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग कर बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में।	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम अल्लाबख्सपुर गढ़मुक्तेश्वन जिला–हापुड़ के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धि है, तदानुसार विष्य में संशोधन कर दिया गया है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक —— /14–1, दिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांकः 309 /14–1, दिनांक, हापुड़ 28/7/2023.

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ
रजिस्टर नं० 485
फाईल नं० 14–1(A)
दिनांक 01/08/23

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त
मेरठ।

विषयः जनपद हापुड़ में Construction of mahadev picnic spot for Eco- Tourism prupose b/w ch. 88-690 to 88- 750 khsra no 2521 of NH-09 R.H.S. in village Allabakshpur Tehsil-Garhmukteshwar District-Hapur हेतु 0.048 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में

(प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)

सन्दर्भ :– 1– उप सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2007/81–2–2023–800(117)/2023 दिनांक 18.07.2023

2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 177/11सी–एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक 20.07.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	Observation	Reply
1	2	3
1	हैण्डबुक ऑफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के चेप्टर–54 के बिन्दु संख्या–4.7 के अनुसार 0.1 है0 तक की वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सामान्य अनुमोदन की स्थिति उन मामलों में ही लागू होती है, जिस वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व नही है। प्रश्नगत मामलें में प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि (0.084है) पर वन विभाग का स्वामित्व है अथवा नही।	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि आवागमन हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि का भू–स्वामित्व वन विभाग का नही है। प्रश्नगत भूमि पर भू–स्वामित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है।
2	प्रश्नगत प्रस्ताव के जिओं रिफर्रेल्स मैप में महादेव ढाबा, अल्लाहबख्सरपुर गढ़मुक्तेश्वर जिला–हापुड़ के सर्म्पक मार्ग के लिए वन भूमि के डावरजन का उल्लेख है, जबकि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विषय निम्नवत अंकित है। :– Construction of mahadev picnic spot for Eco- Tourism prupose b/w ch. 88-690 to 88- 750 khsra no 2521 of NH-09 R.H.S. in village garh Banger Tehsil-Garhmukteshwar District-Hapur हेतु 0.048 है संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी के प्रयोग कर बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में	प्रश्नगत भूमि ग्राम अल्लाबख्सपुर गढ़मुक्तेश्वर ज़िला–हापुड़ के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित है, तद्नुसार विषय में संशोधन कर दिया गया है।

उपरोक्त रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

3/8/2023

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

REVENUE COMPUTER/14-1 sarveyou